FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **नदीम** बनाम **सरकार जरिये एसएचओ गोविन्दगढ़, अलवर**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट**

प्रा0पत्र नम्बर 15/105/2025 दायर दिनांक 22.12.2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.04.2026	पत्रावली वकील प्रार्थी के प्रा0पत्र के आधार पर आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप रजि0 संख्या RJ-14-GT-8956 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना गोविन्दगढ़ से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 135 दिनांक 20.01.2026 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण हाजा में जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप रजि0 संख्या RJ-14-GT-8956 रंग सफेद चेचिस नं0 MA 1ZN 2T TKS 1C33939 इन्जन नं0 TTS1C26237 को सुपुर्दगी पर दिया जावे, तो मुकामी पुलिस थाना को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/– (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी कदर/अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। पुलिस थाना थानाधिकारी गोविन्दगढ़ जिला अलवर को जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप रजि0 संख्या RJ-14-GT-8956 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। **जिला कलक्टर** **अलवर**	